



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्र संख्या 485 /नियोजन अनुभाग/2026

दिनांक: 08/09/26

"सार्वजनिक सूचना"

एतद्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की इन्दिरापुरम विस्तार योजना के अन्तर्गत ग्राम-कनावनी में प्राधिकरण के स्वामित्व की 24.69 एकड़ भूमि पर पार्ट ले-आउट प्लान फेज-1 की स्वीकृति का प्रस्ताव सक्षम स्तर/उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शासनादेश संख्या 4165/आठ-1-05-29विविध/98, दिनांक 07.07.2006 के क्रम में अनुमोदित किया गया है। उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अन्तिम अनुमोदन से पूर्व जनसामान्य से 30 दिवस की अवधि में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त पार्ट ले-आउट प्लान फेज-1 एवं योजना पर सजरा सुपरइम्पोज का अवलोकन किसी भी कार्यदिवस में प्राधिकरण के "स्वागत कक्ष" एवं "मुख्य नगर नियोजक कार्यालय" में किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति/सुझाव देना चाहें तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव "स्वागत कक्ष" एवं "मुख्य नगर नियोजक कार्यालय" में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।